दूदू

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आं०दर्ज/रिकार्ड
14/6/19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अनोपदेवी W/o श्री रतनलाल जाट, निवासी रहलाना, तह० दूदू (जयपुर) वगै० बनाम सायर देवी W/o श्री रामनारायण जाट, निवासी रहलाना, तहसील दूदू (जयपुर) व अन्य

किस्म मुकदमा 225 राज० काश्तकारी अधि० नम्बर 207 सन् 2019 (दूदू)

2019/00907 (वैनीखेड़ा तन रहलाना)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी 14.6.19	श्री मदनलाल गुर्जर, एड० अपी०	

यह अपील श्री मदन लाल गुर्जर एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 14.06.2018, प्रकरण संख्या 45/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, हम न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के अनुसार लक्ष्मण पुत्र लादू विवादित आराजी खसरा नम्बर 429 रकबा 2.2800 है. का खातेदार काबिज काश्तकार है। लक्ष्मण पुत्र लादू खातेदार काश्तकार ने पंजीकृत दान पत्र दिनांक 20.10.2017 से उक्त आराजी अपीलांट को दान कर दी। दान पत्र के आधार पर अनोपदेवी पत्नी रतनलाल का हिस्सा 2/3 व धापू देवी पत्नी हरिराम हिस्सा 1/3 के नाम नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 31.05.2018 स्वीकार किया गया। इस प्रकार विवादित आराजी के मूल खातेदार लक्ष्मण पुत्र लादू ने अपने खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी का ट्रस्टामेन्ट्री डिस्पोजल जरिये पंजीकृत दानपत्र कर दिया।धारा 212 राज. काश्तकरी अधिनियम के तहत् खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहं की जा सकती। ऐसे प्रकरणो में मान्नीय राजस्व मण्डल व मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने कई विनिश्चायो में स्पष्ट मत प्रतिपादित कर रखें है। विवादित आराजी बाबत् घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 का वाद प्रस्तुत किया है, जिस पर उनका कब्जा काश्त नहीं रहा है और उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना कब्जा भी सिद्ध नहीं किया है। कब्जे बिना घोषणा खातेदार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2018 की क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित किया जावे या अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2018 की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जावे।

निरन्तर.....

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

P.T.O.

दूदू

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

207/2019/225 अनोप देवी वगैरह बनाम सायरदेवी व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00207 श्री मदनसिंह गुर्जर, एड० अपी० श्री	

निरन्तर.....

दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण/अपीलांटस विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है किन्तु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने दिनांक 14.06.2018 को अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने के बाद अप्रार्थीगण को नोटिस जारी नहीं किये है और प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है जो विधि सम्मत नहीं है। यह अपील अन्तरित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं और अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश के प्राप्ति की अवधि से 30 दिवस में करें। अप्रार्थीगण/अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 दिवस में यदि उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं करते है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू का आदेश दिनांक 14.06.2018 निरस्त समझा जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर